

Fee Paid Rs. 1200/-  
 Vide Application No. 1589  
 Date 21.11.2024

अनुसूची 21-प्रपत्र संख्या 113

संपत्ति-अवभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण-पत्र सं० 794 2024

आवेदन सं० \_\_\_\_\_ 2024

चुंकि श्री पुष्पा देवी ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के

निबंधित सव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि प्रभावित करने वाले सव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे

सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० 2013 से तक 2024 तक तलाशी की और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निय्यादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मुल्य	प्लॉटों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आवेदन में वर्णित संपत्ति का विवरण						Deed No. :- <u>942</u>		
						Dated :- <u>23.5.2018</u>		
						Ranchi :-		
	Mouza :- <u>पुष्पा</u>							
	Thana No. :- <u>267</u>							
	Thana :- <u>दुर्गा</u>							
	Khata No. :- <u>129</u>							
	Plot No. :- <u>718</u>							
	Sub Plot No. :-							
	Area :- <u>120</u>							
	Dist :- Ranchi							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक- पत्र क दशा में लागू की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनका बारे में उल्लेख हो।

2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाणपत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :-

(पदनाम) :-

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(पदनाम) :-

(हस्ताक्षर) :-

कार्यालय :- अवर निबंधक, शहरी क्षेत्र सं-2 (डोरण्डा प्रक्षेत्र) राँची।

तारीख :-

Date.....

दिष्णनी :-



अवर निबंधक, राँची  
शहरी क्षेत्र-2 (डोरण्डा) प्रक्षेत्र  
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

(1) इस प्रमाण में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं। यदि आवेदन द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदन द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रतिलिपियां देखना चाहते हो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके रखने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण पत्र में दिये गये तलाशी प्रतिष्णाम की किसी भुल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा दूढ़े गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है और, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा, ना दूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

ज्ञापक.....

दिनांक.....

..... का सम्पत्ति अवधार

प्रमाण पत्र.....

..... का प्रेषित

R.O.

अवर निबंधक, राँची  
शहरी क्षेत्र-2, (डोरण्डा) प्रक्षेत्र

(हस्ताक्षर)  
21.11.24